



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
CENTRAL HINDI DIRECTORATEशिक्षा मंत्रालय  
MINISTRY OF EDUCATION(उच्चतर शिक्षा विभाग)  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली / NEW DELHI-110066

दिनांक / DATED : 25-04-2024

तार : राजभाषा  
Tele : Rajbhasha  
फोन / Phone : 26178454, 26105211  
26105213, 26105214, 26105243  
26105312  
फेक्स / Fax : 26100758, 26102575  
www.chd.mhrd.gov.in  
www.chdpublication.mhrd.gov.in

सेवा में,

.....  
.....  
.....

**विषय:- निदेशालय के माल ढुलाई(दिल्ली एवं एनसीआर) तथा सामग्री के बंडलों को तैयार करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने से संबंधी।**

महोदय,

निदेशालय के द्वारा विभिन्न सरकारी /अर्ध सरकारी कार्यालयों / विद्यालयों तथा कॉलेजों तथा पुस्तक मेलों आदि में सामग्री/ पुस्तकों के बंडल बनाने तथा उन्हें भिजवाने एवं कार्यालय तक लाने का ठेका दिया जाना है। इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

इस कार्य को करने के लिए यदि आप सहमत हैं, तो दिनांक 06.05.2024 को 11.00 तक अपने लैटर हैड पर सभी दरों आदि का उल्लेख निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निविदा के रूप में भरकर प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। निविदाएं दिनांक 06.05.2024 को 12.00 बजे समिति कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी। निविदा की नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए।
2. लिफाफे पर निदेशालय के पुस्तकों के बंडलों को तैयार करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाने व ले जाने के लिए निविदा लिखा होना चाहिए।
3. इस कार्य के लिए धरोहर राशि के रूप में रुपये 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम जमा करना होगा।
4. प्रस्तुत निविदा कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में निविदा की अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
5. फर्म द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएंगी, निविदा की पूरी समय सीमा के दौरान किसी भी प्रकार की वृद्धि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(कृ.पृ.उ.)

6. निविदा में दर्शाई गई सभी दरें अनिवार्य रूप से स्पष्ट अंकित करनी होंगी, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके।
7. सूचना देने के उपरांत संबंधित फर्म तुरंत कार्यालय में संपर्क करने के लिए बाध्य होंगी।
8. यह निविदा केवल दिल्ली एवं एनसीआर में माल ढुलाई के लिए है।
9. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके को बिना किसी पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर (₹)
1	आर0के0 पुरम, नई दिल्ली (कार्यालय) से 20 कि.मी. तक सामग्री ले जाने अथवा ले आने की दर (01 किलो से 50 किलो तक)	
2	20 कि.मी. से अतिरिक्त सामग्री ले जाने अथवा ले आने की प्रत्येक कि.मी. की दर (01 किलो से 50 किलो तक)	
3	कार्यालय के मैन गेट भूतल से माल/सामग्री को पहली मंजिल तथा दूसरी मंजिल तक पहुंचाने अथवा नीचे उतरवाने के लिए प्रति बंडल(01 किलो से 50 किलो तक) की दर	

भवदीया

*Sangita Jais*  
(संगीता जैस)

प्रशासनिक अधिकारी